

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

निविदा संख्या: KU/R/CCDC/18 /18

दिनांक: 17/01/2018

बाह्य स्रोत से कर्मियों की आपूर्ति हेतु निविदा


नियम एवं शर्तें –

1. कोल्हान विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध अंगीभूत महाविद्यालयों हेतु सुरक्षाकर्मी, माली इत्यादि की आवश्यकता है। उक्त कर्मियों को बाह्य स्रोत (Out Sourcing) से उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक एजेन्सी से निविदा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। संबंधित कर्मियों का योग्यता एवं अनुभव Annexure I पर वर्णित है।
2. निविदा दो भागों में मुहरबंद होगा, (A) तकनीकी भाग एवं (B) मूल्य भाग (प्राइस बिड)। दोनों भागों का मुहरबंद लिफाफा एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद होगा एवं सभी लिफाफों पर निविदा आमंत्रण सूचना संख्या तथा तकनीकी अथवा मूल्य भाग (प्राइस बिड) अंकित होना चाहिए। निविदा कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के नाम प्रेषित होगा तथा लिफाफे पर निविदा दाता फर्म/एजेन्सी का पूरा नाम, एवं पता एवं दूरभाष/मोबाईल संख्या स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए।
3. निविदादाता को निविदा का मूल्य 5000 रु० मात्र एवं अग्रधन (EMD) के रूप में 50,000/—(पचास हजार)रु० मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्रॉफ्ट जो कुलसचिव/ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के नाम से तथा चाईबासा में भुगतान होगा, संलग्न करना होगा। निविदा निपटारा के बाद चयनित निविदादाता के अलावा अन्य निविदादाताओं का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा परन्तु निविदा मूल्य के विरुद्ध दिए गए 5000/— रु० के ड्राफ्ट को नहीं लौटाया जाएगा। चयनित निविदादाता को एकरारनामा के पूर्व 2,00,000.00(मात्र दो लाख) रुपये मात्र की बैंक गारण्टी/बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. सभी निविदादाता अपने निविदा के तकनीकी भाग में निम्नांकित स्वहस्ताक्षरित अभिलेख निश्चित रूप से संलग्न करेंगे:—
 - i. झारखण्ड सरकार गृह विभाग सुरक्षा सेवा के लिए निविदा दाता फर्म को निर्गत अनुज्ञप्ति पत्र (License)।
 - ii. अद्यतन लेबर लाईसेन्स।

- iii. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र।
- iv. निविदादाता फर्म/एजेन्सी को ई०एस०आई० में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
- v. भारत सरकार से सेवा कर (Service Tax) विभाग से /GST निबंधित होने का प्रमाण पत्र जिसमें सुरक्षा एवं सफाई सेवा अंकित होना अनिवार्य है एवं गत वर्ष इस मद में जमा की गई कर राशि से सम्बंधित चालान की छायाप्रति।
- vi. भारत सरकार/राज्य सरकार के श्रम विभाग में (Working Registration) निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
- vii. एजेन्सी का इन्कम टैक्स रिटर्न (तीन साल का) एवं (PAN) की छायाप्रति।
- viii. उपायुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र।
- ix. कार्यानुभव के रूप में विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत एक वर्ष में झारखण्ड में सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी उपक्रम में न्यूनतम 250 (दो सौ पचास) कर्मी की सेवा प्रदान करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं कार्यदेश की छायाप्रति।
- x. पिछले तीन वर्षों में किसी वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये एवं विगत तीन वर्षों का कुल टर्न ओवर न्यूनतम 2,00,00,000/- (दो करोड़) होना आवश्यक है जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा की छायाप्रति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।
- xi. निविदादाताओं को स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र समर्पित करना होगा जिसमें लिखा हो कि "मेरा फर्म/एजेन्सी किसी भी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी उपक्रम की काली सूची में नहीं है, पूर्व में दोषी नहीं पाया गया है तथा एजेन्सी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय अथवा किसी प्रधाकर/सक्षम निकाय में न्यायिक मामला एवं परिवाद लंबित नहीं है।"
- xii. निविदा पत्र का मूल्य रु0 5000/- मात्र का ड्राफ्ट एवं अग्रधन का रु0 50,000/- का ड्राफ्ट उक्त दोनों ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत होना चाहिए एवं "कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा" के नाम पर निर्गत एवं चाईबासा में भुगतये होना चाहिए। निविदा मूल्य एवं अग्रधन की राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में निविदा प्रथम दृष्ट्या ही अमान्य कर दिया जाएगा एवं उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम दरों पर आए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन की स्थिति में एजेन्सी द्वारा उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय को इस संबंध में सूचित किया जाएगा तथा तत्संबंधी दर पर भुगतान हेतु विपत्र समर्पित किया जाएगा ।
6. एजेन्सी के द्वारा सभी कर्मियों का नियमित एवं समय पर भुगतान करना आवश्यक होगा । महीना समाप्त होने के पश्चात् अगले महीने के सात तारीख तक सभी कर्मियों का भुगतान सुनिश्चित करना होगा ।
7. एजेन्सी के द्वारा ड्रेस, जूता, टोपी, डंडा या अन्य किसी भी मद में कर्मियों के भुगतान से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जानी है । उक्त मद को Management Charges में ही सम्मिलित करते हुए दर Quote करना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी सेवा कर्मि को उनके उपस्थिति के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक होगा ।
8. कर्मियों को भुगतान के पश्चात् उसका भुगतान पंजी (Payment Sheet) की प्रति जिसपर सभी कर्मियों का प्राप्ति हस्ताक्षर होगा विश्वविद्यालय कार्यालय में अगले माह के विपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा समर्पित विपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । प्रति माह के विपत्र के साथ ही कर्मियों के खाते में EPF, ESI etc. से संबंधित जमा किये गये रकम की अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा ।
9. एजेन्सी के अधीन कार्यरत सभी कर्मि, विश्वविद्यालय की सेवा में नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे/कार्य परिसर में आचरण स्वच्छ रखेंगे। किसी तरह का आन्दोलन आदि नहीं करेंगे/एजेन्सी कार्य पर नियुक्त करने के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र सीधे बाह्य स्रोत के कर्मियों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे। यह अतिअनिवार्य शर्त होगी।
10. कर्मियों की दैनिक उपस्थिति के अनुसार प्रतिमाह/दिन के लिए पूर्णमाह की राशि की गणना के लिए 26 कार्य दिवसों की उपस्थिति मान्य होगी। इससे कम उपस्थिति कम होने पर परिश्रमिक की गणना प्रतिदिन के लिए निर्धारित पारिश्रमिक एवं वास्तविक उपस्थिति के आधार पर की जायेगी। साप्ताहिक अवकाश के बदले तैनात अतिरिक्त कर्मियों को उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर परिश्रमिक भुगतेय होगी।

11. कार्यावधि में बाह्यस्रोत के कर्मियों के साथ कोई हादसा (मारपीट, चोट या मृत्यु) होने पर संविदा एजेन्सी जिम्मेवार होगी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुविधा जैसे बीमा, ईलाज हेतु खर्च या अन्य आश्रित नियोजन इत्यादि देय नहीं होगा।
12. सभी कर्मियों को निर्धारित ड्रेस एवं फोटो पहचान पत्र निर्गत करना एजेन्सी की जबाबदेही होगी। इस पहचान पत्र को कार्यावधि में धारण करना सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा।
13. सफल निविदादाता को कार्यादेश मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ एकरारनामा करना आवश्यक होगा जिसकी वैधता एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद होने पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो बार अथवा अगले निविदा निस्तारण तक कार्यावधि विस्तारित करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।
14. तकनीकी एवं प्राइसविड दिए गए प्रपत्र में समर्पित करना अनिवार्य होगा जो कि इस निविदा के Annexure II और Annexure III पर संलग्न है।
15. कर्मियों द्वारा अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने, किसी असमाजिक कार्य में संलिप्तता, कार्य के असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में अथवा नियमित भूगतान नहीं करने की स्थिति में कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। उपर्युक्त स्थिति में एक माह के नोटिस से कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है।
16. इस निविदा से संबन्धित विवादों का न्यायिक क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।
17. ISO प्रमाणित एजेन्सी को प्राथमिकता दी जाएगी।
18. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 27/01/2018 के 2.00 बजे दिन तक है। निविदा खुलने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
19. एजेन्सी के द्वारा कर्मियों की आपूर्ति विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के आलोक में किया जाएगा एवं इसे सुनिश्चित करने के उपरान्त ही कार्य पर रखा जाएगा। साथ ही उनके द्वारा प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों के योग्यता एवं अनुभव संबंधित कागजात विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
20. विश्वविद्यालय किसी भी समय उक्त निविदा रद्द करने या कार्य को आवश्यकतानुसार एक से अधिक एजेन्सी के बीच बांटने का अधिकार रखता है।


 कुल सचिव, 17.1.18
 कोल्हान विश्वविद्यालय,
 चाईबासा।
 17/01/18


कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

Annexure-I

विभिन्न कर्मियों हेतु निर्धारित योग्यता

क्रं० सं०	पदनाम	योग्यता एवं अनुभव
01.	सशस्त्र सुरक्षा प्रहरी	दसवी पास भूतपूर्व सैनिक एवं प्रशिक्षण प्राप्त एवं दो वर्षों का अनुभव
02.	सुरक्षा प्रहरी	सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त एवं दो वर्षों का अनुभव
03.	रात्रि प्रहरी(लाठीधारी)	सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त एवं दो वर्षों का अनुभव
04.	माली	साक्षर
05.	आदेशपाल	---
06.	इलेक्ट्रीशियन	प्रशिक्षण प्राप्त एवं दो वर्षों का अनुभव
07.	प्लम्बर	प्रशिक्षण प्राप्त
08.	चालक	प्रशिक्षण प्राप्त एवं ड्राइविंग लाइसेंस एवं दो वर्षों का अनुभव
09.	रसोइया	संबंधित कार्यों का तीन वर्षों का अनुभव
10.	कैटीन कर्मी	संबंधित कार्यों का तीन वर्षों का अनुभव
11.	कम्प्युटर ऑपरेटर	स्नातक पास एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्युटर में डिप्लोमा तथा शैक्षणिक संस्थान में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव । "टैली" पैकेज की जानकारी वांछनीय ।

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर


कुल सचिव, 17.1.18
कोल्हान विश्वविद्यालय,
चाईबासा।
17/1/18

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

(Annexure-II)

तकनीकी भाग

कं० सं०	दस्तावेजों की छायाप्रति	पृष्ठ संख्या
01.	अग्रधन (EMD)	रु०- DD No.- Date- Bank- Branch-
02.	आई० एस० ओ० प्रमाण पत्र।	
03.	उपायुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र	
04.	स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र	
05.	कर्मचारी भविय निधि कार्यालय द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र	
06.	ई०एस०आई० में निबंधित होने का प्रमाण पत्र	
07.	लेबर लाईसेंस	
08.	गृह विभाग सुरक्षा सेवा के लिए निर्गत अनुज्ञप्ति पत्र	
09.	इन्कम टैक्स पैन	
10.	सेवा कर के लिए निबंधित होने का प्रमाण पत्र	
11.	सेवा कर मद में गत वर्ष जमा की गई कर राशि से सम्बंधित चालान की छायाप्रति।	
12.	वार्षिक टर्न ओवर	
12.	कार्यानुभव	

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

[Handwritten Signature]
कुल सचिव, 12.1.18
कोल्हान विश्वविद्यालय,
चाईबासा।
[Handwritten Signature]

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

(Annexure-III)

मूल्य-भाग (Price-Bid)

क्रं० सं०	पदनाम	दर अंकों में मासिक पारिश्रमिक रूपये में						Total (Rs.)	(दर शब्दों में) मासिक पारिश्रमिक रूपये में (सभी कर एवं अन्य मद सहित) (Rs.)
		कर्मियों को भूगतान (Rs.)	GST की राशि (Rs.) (If applicabl e to universit y)	EPF (Rs.)	ESI (Rs.)	Manage ment Charge (Rs.)	Others (Rs.)		
01.	सशस्त्र सुरक्षा प्रहरी								
02.	सुरक्षा प्रहरी								
03.	रात्रि प्रहरी(लाठीधारी)								
04.	माली								
05.	आदेशपाल								
06.	इलेक्ट्रीशियन								
07.	प्लम्बर								
08.	चालक								
09.	रसोइया								
10.	कैटीन कर्मी								
11.	कम्प्युटर ऑपरेटर								

नोट : i. कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर भुगतान करना आवश्यक होगा । सरकार द्वारा दर संशोधित किए जाने पर एजेन्सी के द्वारा उसका पालन सुनिश्चित करना होगा एवं विश्वविद्यालय के द्वारा भी सरकार के द्वारा निर्धारित दर से भूगतान किया जाएगा ।

ii. एजेन्सी के द्वारा ड्रेस, जूता, टोपी, डंडा या अन्य किसी भी मद में कर्मियों के भूगतान से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जानी है । उक्त मद को Management Charges में ही सम्मिलित करते हुए दर Quote करना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी सेवा कर्मि को उनके उपस्थिति के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भूगतान करना आवश्यक होगा ।

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

Page 7 of 7

कुल सचिव, 12.1.18
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।